पटना में दिनांक–11 फरवरी, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1. भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैती में पीरपैती बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड की प्रस्तावित कोयला आधारित 2x660 मेगावाट (1320 मेगावाट) की विद्युत परियोजना को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड तथा नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, के बीच संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) के रूप में विकसित करने हेतु पीरपैंती बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बी०एस०पी०जी० सी०एल० तथा एन०एच०पी०सी०एल० के बीच त्रिपक्षीय समझौता (MOU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत

गन्ना उद्योग विभाग

2. बिहार राज्य चीनी निगम लि० इकाई–समस्तीपुर एवं लोहट के कार्यरत/सेवा निवृत्त/मृत कर्मियों के बकाया भविष्य निधि अंशदान की राशि कर्मचारी भविष्य निधि निदेशालय, मुजफ्फरपुर को भुगतान हेतु कुल मो० 4,33,74,600/–(चार करोड़ तेंतीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ) रूपये एवं इकाईयों में पेराई सत्र बंद होने के बाद कार्य पर रखे गये सीजनल कर्मियों के कार्यावधि का साप्ताहिक [illegible] में घोषित अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश छोड़कर (भविष्य निधि अंशदान राशि के साथ) भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 2. स्वीकृत

जल संसाधन विभाग

3. जल संसाधन विभाग के अधीन अधीक्षण अभियंता (असै०) के पद पर वेतनमान् (रूपये 37400–67000 ग्रेड पे० 8700) में प्रोन्नति का प्रस्ताव। — 3. स्वीकृत

भवन निर्माण विभाग

4. भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत गैरयोजना मद में अभियंता संवर्ग सहित विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन। — 4. स्वीकृत

पथ निर्माण विभाग

5. श्री विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बिहारशरीफ, सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत

निर्वाचन विभाग

6. बिहार राज्य के सभी 38 (अड़तीस) जिलों के जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालय अवस्थित अनुमंडल/ प्रखंड में उपलब्ध भूमि पर ई०वी०एम० (Electronic Voting Machine) के भंडारण हेतु गैर योजना मद में नई स्कीम 'ई०वी०एम० गोदाम का निर्माण' की स्वीकृति एवं इसके अंतर्गत गोदाम निर्माण पर कुल अनुमानित लागत ₹ 72,82,00,000/–(बहत्तर करोड़ बेरासी लाख रूपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7. बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को गैर योजना मद से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 3532.86 लाख (पैंतीस करोड़ बत्तीस लाख छियासी हजार) रूपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत

विधि विभाग

8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रॉसफर्ड केस (सिविल) नं०–22/2001 (बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक–19.04.2012 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं सिविल जज, जूनियर डिवीजन तथा सिविल जज सिनियर डिवीजन के संवर्गीय पदों में 10% अतिरिक्त पदों की वृद्धि के फलस्वरूप कुल 127 न्यायिक पदाधिकारियों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवश्यक कुल 650 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

9. बिहार राज्य अभिलेखागार के अंतर्गत एक अभिलेख सलाहकार, उनके सहायतार्थ कार्य कर रहे एक शोध सहायक, एक कम्प्यूटर लिपिक एवं दो आदेशपाल तथा चार कम्प्यूटर ऑपरेटर के कुल नौ पदों के सृजन की घटनोत्तर की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत

शिक्षा विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के विकास हेतु कुल रूपये 24,88,86,882/– (चौबीस करोड़ अठासी लाख छियासी हजार आठ सौ बयासी रू०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत कुल रू० 10,00,000/– (दस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत

सामान्य प्रशासन विभाग

11. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 10,000–15,200/–(पुनरीक्षित वेतनमान पे–बैंड–3 तथा ग्रेड वेतन ₹ 6600/–) में प्रदत्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत वेतनमान पे बैंड–3 तथा ग्रेड वेतन–₹ 7600/–में प्रदत्त तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत

सामान्य प्रशासन विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2013–14 में पिछड़ें वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद के अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल रू० 1,54,36,000/– (एक करोड़ चौवन लाख छत्तीस हजार) रूपय में से बजट शीर्ष 2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष 00–लघु शीर्ष–090–सचिवालय –उपशीर्ष 0005 पिछड़ें वर्गों के लिए राज्य आयोग विपत्र कोड N–2052000900005 के इकाई संख्या 31 04 वेतन मद में रू० 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये मात्र और इकाई संख्या 31 06 के वेतनादि के अलावा मद में रू० 19,05,000/– (उन्नीस लाख पाँच हजार) कुल रू० 39,05,000/– (उनचालीस लाख पाँच हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत

सामान्य प्रशासन विभाग

13. श्री हरि निवास [illegible] तत्कालीन [illegible] परिवार [illegible] समस्तीपुर सम्प्रति प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर (निलंबित), श्री जितेन्द्र नाथ सिंह, तत्कालीन तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया सम्प्रति आरा (निलंबित) एवं श्री कोमल राम, तत्कालीन अवर न्यायाधीश–सह–मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया सम्प्रति अवर न्यायाधीश, नवादा (निलंबित) को भारत के संविधान के अनुच्छेद–311 (2) के परन्तुक की धारा (बी) के साथ सहपठित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 एवं 20 के तहत सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 13. स्वीकृत

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

14. राज्यपाल सचिवालय, बिहार में कार्यबोझ की अधिकता के मद्देनजर कार्यों का गुणवतापूर्ण स–समय निष्पादन हेतु विशेष सचिव/अपर सचिव का एक पद सृजित करने के संबंध में। 14. स्वीकृत

उद्योग विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2013–14 में केन्द्र प्रायोजित समेकित हस्तकरघा विकास योजना के अन्तर्गत शाहकुण्ड (भागलपुर) कलस्टर के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में विमुक्त द्वितीय किश्त की केन्द्रांश राशि ₹ 17.15 लाख (सतरह लाख पन्द्रह हजार) रूपये एवं इसके आंकलित राज्यांश राशि ₹ 1.70 लाख (एक लाख सत्तर हजार) रूपये विषय शीर्ष–सहायक अनुदान तथा मशीनें एवं उपस्कर मद में व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 15. स्वीकृत

उद्योग विभाग

16. मे० मस्स मेगा फूड पार्क प्रा०लि०, नई दिल्ली द्वारा नावानगर, बक्सर में फूड पार्क (सेन्ट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, कॉमन फेसिलिटी कोल्ड वेयर हऊस, ड्राई वेयर हाऊस, सी०ए० स्टोरेज, सार्टिंग ग्रेडिंग वाशिंग) के इकाई की स्थापना हेतु कुल ₹ 182.15 करोड़ (एक सौ बेरासी दशमलव पन्द्रह करोड़) लागत से निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 16. स्वीकृत

जल संसाधन विभाग

17. दाँया कमला बलान तटबंध के कि०मी० 96.50(मनोबर) से 110.48 कि०मी० (फुहिया) तक विस्तारीकरण एवं आक्राम्य स्थलों पर सुरक्षात्मक कार्य के साथ तटबंध के शीर्ष पर ईटीकरण का कार्य। जिसकी प्राक्कलित राशि 5786.34 लाख रू० है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

18. खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम (15.11.12 से 15.04.13) तथा सी०एम०आर० कार्यक्रम (15.11.12 से 30.09.13) के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम को कार्यशील पूँजी के रूप में विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए ऋण कुल 1300.00 करोड़ रूपये की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत

ग्रामीण विकास विभाग

19. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थापित प्रशासनिक तंत्र में कार्यक्रम पदाधिकारी के 393, कनीय अभियंता के 1290, सहायक अभियंता के 78, कार्यपालक अभियंता के 16 एवं पंचायत तकनीकी सहायक के 107 अतिरिक्त पदों तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के 38 नये पदों का सृजन एवं मुख्यालय स्थित BRDS Core Team के 161 पदों के सृजन तथा इस प्रशासनिक तंत्र पर मनरेगा अन्तर्गत प्रावधानित 6% आकस्मिकता व्यय से अधिक व्यय 139.30 करोड़ रूपया अतिरिक्त राज्यांश से वहन किए जाने की स्वीकृति। — 19. स्वीकृत

समाज कल्याण विभाग

20. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के संचालन एवं इस निमित विश्व बैंक से ऋण प्राप्ति करने की स्वीकृति। — 20. स्वीकृत

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

22. विभागान्तर्गत दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा में 2 (दो) ब्यॉज हॉस्टल (प्रति 150 बेड) एवं 1 (एक) गर्ल्स हॉस्टल (150 बेड) के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 12,64,00,000=00 (बारह करोड़ चौंसठ लाख रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 27,07,44,000=00 (सताईस करोड़ सात लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। — 22. स्वीकृत

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

23. केन्द्रीय सहायता से बांका जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, बांका की स्थापना की स्वीकृति, संस्थान में भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू० 41.15 करोड़ (एकतालीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना [redacted] करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावर्त्तक व्यय एवं शत प्रतिशत आवर्त्तक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

24. केन्द्रीय सहायता से गया जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, टेकारी की स्थापना की स्वीकृति, प्रस्तावित संस्थान के भवनादि के निर्माण कार्यों के लिए रू० 31.71 करोड़ (एकतीस करोड़ एकहतर लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना में प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायता रू० 12.30 करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावर्त्तक व्यय एवं शत प्रतिशत आवर्त्तक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत

शिक्षा विभाग

25. विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के सेवा निवृत कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2012–13 का बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष/सदस्यों का यू०जी०सी० वेतनमान में 01.01.96 के आधार पर वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय अंतर राशि के भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूपये 24,70,000/– (चौबीस लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति। — 25. स्वीकृत

शिक्षा विभाग

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० संख्या–12591/2010 में पारित न्यायादेश के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश श्री एस०बी० सिन्हा की अध्यक्षता में गठित कमीशन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत

ऊर्जा विभाग

28. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन 10/16/[illegible] के जले एव पुराने/क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदलने हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अनुशंसित ट्रांसफार्मरों को नये 63/100 के०भी०ए० के ट्रान्सफार्मरों में बदलने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की 5608.95 लाख रूपये की योजना के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजना मद से 2027.95 लाख रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की 3378.35 लाख की योजना के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजना मद से 1332.85 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० 700.00 लाख रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिए 500.00 लाख रूपये कुल 1200.00 लाख (बारह सौ लाख रूपये) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति करने के संबंध में। — 28. स्वीकृत

ऊर्जा विभाग

29. कृषि, घरेलू उपभोक्ता एवं अन्य उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने तथा विद्युत बकाये राशि की वसूली हेतु प्रस्तावित One Time Settlement Scheme के अन्तर्गत वास्तविक माफ किए गए डी०पी०एस० राशि की अधिसीमा 650 करोड़ रूपये के अधीन बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं उनकी अनुषंगी कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण में समायोजित करने पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 29. स्वीकृत

ऊर्जा विभाग

30. राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य के 11 जिलों में सभी गॉवों और टोलों के विद्युतीकरण हेतु आर०ई०सी० द्वारा स्वीकृत 3130.04 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति तथा राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत किए जा रहे विद्युतीकरण एवं 11 जिलों में बचे हुए गॉव को पूर्णतः विद्युतीकरण करने की SBPDCL एवं NBPDCL की स्पेशल प्लान (बी०आर०जी०एफ०) के तहत स्वीकृत योजना अन्तर्गत कराये जा रहें विद्युतीकरण में प्रावधानित/स्वीकृत 25 के०भी०ए० ट्रान्सफार्मरों के बदले कार्यादेश निर्गत के उपरांत 63 के०भी०ए० के ट्रान्सफार्मरों को लगाने की एवं मात्रा में परिवर्तन करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 30. स्वीकृत

ऊर्जा विभाग

31. [redacted] के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्कीम के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं० लि० एवं इनके अनुषंगी कम्पनियों का दिनांक–31.03.2013 तक के लघुकालीन दायित्वों यथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के लिए 834.85 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के लिए 1525.86 करोड़ रूपये यानि कुल 2360.71 करोड़ रूपये के वित्तीय पुर्नसंरचना के शर्तों पर राज्य सरकार की गारन्टी संबंधित बैंक यथा केनरा बैंक, पी०एन०बी० एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्गत करने तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं० लि० के वितरण कम्पनियों को योजना एवं गैर योजना मद में ऋण के रूप में प्राप्त 300.23 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं० लि० में राज्य सरकार की अंशदायी पूँजी के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 31. स्वीकृत

ऊर्जा विभाग

32. बिहार विद्युत विनियामक अयोग (पदाधिकारियों /कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा–शर्त्तें) विनियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में। — 32. स्वीकृत

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

33. नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा–राजगीर, थाना सं०–485 के विभिन्न खाता खेसरा का कुल रकबा–103.305 एकड़ (अनुलग्नक–I) नगर पंचायत राजगीर में सन्निहित, नगर निवेशन प्राधिकार द्वारा अर्जित भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 33. स्वीकृत

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

34. दरभंगा जिलान्तर्गत हनुमान नगर अंचल के मौजा–उखरा, थाना सं०–197, खाता सं०–122 (पुराना)/413 (नया), खेसरा सं०–1043 (पुराना)/ 1307, 1308, 1309, 1310 एवं 1311 (नया) रकबा–0.55 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि जिसका वर्तमान स्वरूप गढ़ा है का विशनपुर थाना भवन निर्माण हेतु गृह विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण। — 34. स्वीकृत

वित्त विभाग

35. संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "राज्य का वित्त" का विधान मंडल के आगामी सत्र में दिनांक–21–02–2014 को उपस्थापन। — 35. स्वीकृत

शिक्षा विभाग

36. "बिहार शिक्षा सेवा नियमावली–2014" पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन के संबंध में। — 36. स्वीकृत

लघु जल संसाधन विभाग

37. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन "बिहार भूजल विकास मिशन" का सोसाइटीज निबंधन अधिनियम–1860 के अन्तर्गत निबंधित कर गठन करने की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रबंधन इकाई के लिए पद सृजन की पूर्वानुमति प्रदान करने के संबंध में। — 37. स्वीकृत

पथ निर्माण विभाग

38. पटना में गंगा नदी के किनारे 'गंगा पथ' (दीघा से दीदारगंज) (संभावित लम्बाई 23.50 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 2000.00 करोड़ (रूपये दो हजार करोड़) मात्र का ऋण HUDCO (Housing and Urban Development Corporation Ltd.) से प्राप्त करने के लिए State Government Guarantee हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — **38. स्वीकृत**

ग्रामीण विकास विभाग

39. बिहार राज्य में विकास प्रबंधन संस्थान (Development Managment Institute) की स्थापना की स्वीकृति। — **39. स्वीकृत**